

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग  
॥ अ धि सू च ना ॥

पटना-15, दिनांक : 11 अप्रैल, 2017


संख्या : 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-4372/श्री ई0एल0एस0एन0 बाला प्रसाद, भा0प्र0से0(बी एच:86), राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को शीर्ष वेतनमान-रु0-80,000/- (नियत) (संशोधित स्तर-17 -रु. 2,25,000/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त आलोक में श्री प्रसाद द्वारा शीर्ष वेतनमान का प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से उनके द्वारा धारित राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना के वर्तमान पद को उनके पदस्थापन काल तक के लिए शीर्ष वेतनमान में उत्क्रमित किया जाता है।

संख्या : 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-4373/श्री संजीव कुमार सिन्हा, भा0प्र0से0(बी एच:86), अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अध्यक्ष, बिहार राज्य तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना) को शीर्ष वेतनमान- रु0-80,000/- (नियत) (संशोधित स्तर-17 -रु. 2,25,000/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त आलोक में श्री सिन्हा द्वारा शीर्ष वेतनमान का प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से उनके द्वारा धारित अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के वर्तमान पद को उनके पदस्थापन काल तक के लिए शीर्ष वेतनमान में उत्क्रमित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :: 1/सी0-1009/2015-सा0 प्र0-4373/पटना-15, दिनांक : 11 अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नयी दिल्ली/संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/संबंधित विभाग/संबंधित पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय

कोषांग, कम्प्यूटर सेल/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-6) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:-

**"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."**

2021  
11/4/17

सरकार के अवर सचिव